प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्रह'

[6/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 3394]

परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 3394 द्वारा श्री गिरीश गौतम

कार्यालय जिला पंचायत, रीवा (म0प्र0)

क्र0/877/एस.बी.एम./जि.पं./2017 रीवा दिनांक 31/01/2017

प्रति,

जिला खाद्य अधिकारी
जिला रीवा (म0प्र0)

विषय:- सम्पूर्ण रीवा जिले को मार्च 2017 तक **"खुले में शौच मुक्त"** किये जाने हेतु खादयान पर्ची पर स्वच्छ घर की शील लगाने के संबंध में।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) सम्पूर्ण रीवा जिले को मार्च 2017 तक **"खुले में शौच मुक्त"** किया जाना है। उक्त संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में खादयान प्राप्त करने वाले पात्रता धारियो जिनके घर में शौचालय बना हुआ है। (स्वयं से /पंचायत से) तथा परिवार के सदस्य उसका उपयोग करते है। ऐसे प्रत्येक परिवार के खादयान पर्ची पर **"स्वच्छ घर की शील"** जो सहकारी बैंक के माध्यम से सेल्स मैन को प्रदाय की गई है। उसे लगाया जाना अनिवार्य है। यदि खाद्यान प्राप्त कर्ता व्यक्ति के घर में शौचालय नही है, तो उसे सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत के प्रमाणी करण के पश्चात ही खाद्यान प्रदाय किया जावे, ताकि शौचालय निर्माण/उपयोग हेतु जनमानस में एक रूझान पैदा हो तथा मिशन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो। अभियान की सफलता हेतु आपका सहयोग अति महत्वपूर्ण है।

अतः आप उक्त अभियान में सहयोग करने हेतु मैदानी अमले को निर्देशित करे। ताकि गॉव में **"खुले से शौच मुक्त"** की कुप्रथा से मुक्त हो सके।

कलेक्टर
जिला रीवा (म0प्र0)
रीवा दिनांक

पृ0 क्र0 877 एस.बी.एम. जि.पं. 2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त रीवा संभाग रीवा।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला रीवा।
3. खादय निरीक्षक समस्त .... जिला रीवा।
4. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत समस्त जिला रीवा।

कलेक्टर 3/1/17
जिला रीवा (म0प्र0)